

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर निकाय,
निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी,
नगर निकाय उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2018

विषय : समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत सरकारी प्राधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक-29.03.2018 के प्रस्तर-11(6) में यह प्राविधान है कि समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निकायों में 03 वर्ष से अधिक समय से एक ही पटल का कार्य देख रहे समूह 'ग' के कार्मिकों/लिपिकों विशेषकर विज्ञापन एवं कर वसूली से सम्बन्धित कार्मिकों का तत्काल पटल परिवर्तन कर दिया जाए। उक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में विलम्बतम् 01 सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए। यदि निकाय के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ऐसे कार्मिकों/लिपिकों का पटल परिवर्तन नहीं किया गया है तो सम्बन्धित नगर आयुक्त/अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
Mansaf
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव। 17.5.18